प्र.सं. 53/2018 अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट
रान्दीप सिंह बनाम ईकबाल सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
10.02.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी के दादा के नाम खातेदारी थी। जो प्रार्थी के पिता को विरास्तन प्राप्त हुई हैं। प्रार्थी का पिता प्रार्थी से नाराज हैं। और भूमि विक्रय कर प्रार्थी को हानि पंहुचाना चाहता हैं। प्रार्थी का प्रार्थी के पिता की भूमि में जददी जायदात होने के कारण बराबर का भाग हैं। यदि अप्रार्थी भूमि को विक्रय कर देता हैं तो प्रार्थी को मूल्यांकन न किया जा सकने वाली होनि होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं अतः न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला मूल वाद तक स्थाई करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 06.02.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा प्रतिलिपि जमाबंदी ईकबाल सिंह एवं जमाबंदी की प्रतिलिपि मेहर सिंह के नाम दर्ज भूमि की पेश की हैं। जिससे प्रथम दृष्टया भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि प्रतीत होती हैं। परन्तु इसका निर्णय मूल वाद में गुण अवगुण के आधार पर वादबिन्दू कायम कर किया जाना हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं। भूमि अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। यदि अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो भूमि के रहन बैय होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी बढने की सम्भावना हैं। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं, कि अप्रार्थी चक 1 एनपी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 6 के मु.नं. 10–32 में दर्ज अप्रार्थी ईकबाल सिंह के नाम दर्ज भूमि पर मूल वाद निर्णय तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल [illegible] रहे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.04.08 16:59:22 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner